

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2023 — चैत्र 13, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2023

क्रमांक 4222/डी. 46/21-अ/प्रारू./छ. ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 20-3-2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2023)

## छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 6 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (चार) के उप-खण्ड (ख) के पैरा (तीन) की सारणी के सरल क्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

स.क्र.	पार्किंग में कमी का प्रतिशत	देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)
(1)	(2)	(3)
“3	50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत तक	प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रुपये”

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2023

क्रमांक 4222/डी. 46/21-अ/प्रारू./छ. गं./23. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 3 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 5 of 2023)

**THE CHHATTISGARH ANADHIKRIK VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2022.**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.
- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

**Short title,  
extent and  
commencement.**

2. After serial number 2 of the Table of para (iii) of sub-clause (b) of clause (iv) of sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), the following serial number shall be added, namely:-

**Amendment of  
Section 6.**

S.No.	Parking Decrease Percentage	Penalty Payable (for each car space constraint)
(1)	(2)	(3)
“3	More than 50 percent and upto 75 percent	Two lakh rupees for each car space”